

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 889/2022

UPRN180017672022



सरकार

बनाम

निहाल

धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

मु०अ०सं० 176/2022

थाना सजेती, कानपुर नगर

आरोप

मैं धर्मेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात आप निहाल पुत्र शकील अहमद को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ।

प्रथम- यह कि दिनांक 10/06/2022 को समय 04.00 बजे बहद स्थान नोन नदी के पुल के पास थाना सजेती जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत पुलिस पार्टी द्वारा जामा तलाशी के दौरान आपके पास से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया। इस प्रकार आपने धारा **3/25 आर्म्स एक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक – 05/01/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्त ने विचारण की मांग की।

दिनांक – 05/01/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562